निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1936 (श0)

(सं0 पटना 653) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2014

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर 2013

सं0 निग/सारा–4 (पथ)–107/13–9261 (एस)—पथ प्रमडल, किशनगंज अन्तर्गत अमौर–बहादुरगंज पथ के निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता के संबंध में माननीय श्री अखतरूल ईमान, सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में उक्त पथ की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 द्वारा करायी गयी एवं उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 से प्राप्त प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन–110 दिनांक 04.05.10 एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन पत्रांक–196 दिनांक 17.08.10 के आलोक में निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–पूरे पथ के फ्लैंक में मिट्टी कार्य improper slope तथा अपर्याप्त चौड़ाई एवं बिना संपीडन के कराया गया, पथ के कि0मी0 22 में कराये गये SDBC कार्य का औसत FDD 2.12gm/cc पाया गया जबकि प्रावधान 2.30 gm/cc का है, पथ के कि0मी0 22 में कराये गये GSB कार्य में प्रयुक्त aggregate के LL का कुल मान 27.32 प्रतिशत पाया गया जबकि प्रावधान अधिकतम 25 प्रतिशत का है, पथ के कि0मी0 22 में कराये गये WBM ग्रेड–II कार्य में प्रयुक्त aggregate औसतन 24.11 प्रतिशत ओवर साईज तथा औसतन 21.53 प्रतिशत अन्डर साईज पाया गया है। प्रयुक्त aggregate के FI+EI एवं LL का कुल मान 32.1 प्रतिशत तथा 29.4 प्रतिशत पाया गया जबकि प्रावधान क्रमशः अधिकतम 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत का है, पथ के कि0मी0 22 में कराये गये WBM ग्रेड–III कार्य में प्रयुक्त aggregate औसतन 11.28 प्रतिशत ओवर साईज एवं औसतन 7.62 प्रतिशत अंडर साईज पाया गया, प्रयुक्त aggregate के FI+EI एवं LL का कुलमान क्रमशः 35.88 प्रतिशत तथा 29.25 प्रतिशत पाया गया जबकि प्रावधान अधिकतम 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत का है, पथ के कि0मी0 22 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.69 प्रतिशत पायी गयी जबकि प्रावधान 3.30 प्रतिशत का है, पथ के कि0मी0 22 में ही कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.6 प्रतिशत पायी गयी जबकि प्रावधान 5 प्रतिशत है के लिए विभागीय पत्रांक–1237 (एस) अनु0 दिनांक 02.02.11 द्वारा श्री बीरेन्द्र पूर्वे, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री पूर्वे ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–48 दिनांक 18.04.11 में मूल रूप से निम्न बाते कही यथा–जिस समय फ्लैंक में मिट्टी का कार्य कराया जा रहा था उस समय मिट्टी स्लोप में था एवं फ्लैंक में पथ वेलन चलते हुए पाया गया, 22 वें कि0मी0 में एस0डी0बी0सी0 कार्य का औसत एफ0डी0डी0 कम होने के संबंध में वाहन की अनुपलब्धता बताते हुए

एफ0डी0डी0 का जाँच नहीं होना बताया है, जी0एस0बी0 कार्य पथ परत के सबसे नीचे का भाग होता है, जाँच के दौरान 450 एम0एम0 से नीचे गड्ढ़ा खुदाई के वक्त जी0एस0बी0 का मेटेरियल गड्ढ़ा से निकालने के क्रम में उसमें मिट्टी मिल सकती है, डब्लू0एम0एम0 ग्रेड–II एवं ग्रेड–III मेटेरियल के ओवर साईज एवं अन्डर साईज के संबंध में कहा है कि वाहन के आभाव में उनके द्वारा एक–दो स्टॉक जा जाँच किया जाता था सभी स्टॉक का जाँच संभव नहीं था, बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा जाँचने हेतु इस प्रयोगशाला में बिटुमेन extractor मशीन एवं केमिकल उपलब्ध नहीं होने के कारण बिटुमेन के प्रतिशत की जाँच उनके द्वारा नहीं किया जाता था। उक्त आधार पर अपने को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3. श्री पूर्वे से प्राप्त स्पष्टीकरण को पुनरीक्षित मान्य दंड में एग्रीगेट के ग्रेडिंग की गणना विधि में संशोधन को दृष्टिगत कर समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि–अनुमोदित मान्य दंड के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा LL के औसत मान में दो प्रतिशत तक विचलन स्वीकार किये गये हैं, परन्तु पथ के 22 कि0मी0 में कराये गये जी0एस0बी0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट के LL का विचलन 2.32 प्रतिशत पाया गया, पथ के कि0मी0 22 में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–II कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन अनुमोदित मान्य दंड में 7.50 प्रतिशत टौलरेन्स दिया गया परन्तु इस मामले में 11.79 प्रतिशत अधिक विचलन पाया गया, उक्त कि0मी0 में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III में प्रयुक्त एग्रीगेट अनुमान्य मान्य दंड में 2 प्रतिशत टौलरेन्स दिया गया परन्तु इस मामले में 9.25 प्रतिशत विचलन पाया गया, उक्त कि0मी0 में कराये गये बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा भी अनुमान्य मान्य दंड से कम पाया गया।

4. उक्त आधार पर श्री बीरेन्द्र पूर्वे, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज के प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक–48 दिनांक 18.04.11 को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 653-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in